न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 124/2015</u> संस्थित दिनांक–22/04/2013 फाईलिंग नंबर–230301006562013

वि रू द्ध

- विजय पुत्र जनवेद आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम प्रतापपुरा अटेर जिला भिण्ड म0प्र0
- 2. अरूण पुत्र जनवेद आयु 48 वर्ष ग्राम प्रतापुरा अटेर जिला भिण्ड
- 3. महेश पुत्र बलवीर सिंह आयु 49 वर्ष निवासी ग्राम ईंगुरी थाना पावई
- 4. सत्यपाल पुत्र अमोल सिंह आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम बगुलई थाना पावई
- 5. प्रदीप पुत्र जगन्नाथ आयु 28 वर्ष निवासी बार्ड नंबर 14 मी जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक अभियुक्तगण अरूण एवं विजय द्वारा श्री अरविन्द बैशांधर अधिवक्ता। अभियुक्तगण सत्यपाल एवं महेश द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर अधिवक्ता। अभियुक्त प्रदीप द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—::— निर्णय ्रीः–

(आज दिनांक 08/02/2017 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. प्रकरण में अभियुक्तगण विजय कुमार, अरूण शर्मा, सत्यपाल एवं प्रदीप उर्फ नाना के विरूद्ध धारा 394 सहपित धारा—34 भा0द0वि0 एवं धारा—11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—03/07/2012 को 02:00 बजे गाता अमायन रोड ग्राम सैंथरी पुलिया से आगे डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एकराय होकर लूट करने के अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, फरियादी दीवान सिंह को स्वेच्छा उपहित कारित करते हुए उससे सोनालिका ट्रेक्टर कीमत पांच लाख रूपए की लूट कारित की तथा अभियुक्त महेश पर धारा—411 भा0द0वि0 के अंतर्गतआरोप है, कि उसने सोनालिका ट्रेक्टर यह विश्वास रखते हुए, कि वह चोरी का है, उसे अपने आधिपत्य में रखे पाया गया।

- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, घटना दिनांक को घटनास्थल 2. मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05. 1981 की अनुसूची के कॉलम कमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम १९८१ के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था तथा यह भी निर्विवादित, है, कि अभियुक्त गोपाल, अजय, तहसीलदार तथा राघवेन्द्र को पूर्व में ही आदेश दिनांक 10/09/13 द्वारा उन्मोचित किया जा चुका है।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि 3. दिनांक—03/07/2012 फरियादी दीवान सिंह ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि, वह होमसिंह तोमर निवासी लाल का पुरा थाना पोरसा के सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक यू०पी०—75—पी—7379 पर चालक है, दिनांक 02/07/12 को वह ट्रेक्टर ट्रॉली से रेत भरने के लिए साबुरी खदान िसिन्ध नदी पर गया था, तथा रेत भरकर मय ट्रेक्टर ट्रॉली के सबूरी खदान से वापिस लाल का पुरा जा रहा था, तभी 03/07/12 को करीब के 02:00 ए 0एम0 बजे जब वह टेक्ट्रर लेकर अमायन रोड सैंथरी की पुलिया पर पहुंचा तो उसी समय पीछे से कनाथर तरफ से एक मोटरसाइकिल टेक्ट्रर से आगे निकली जिस पर चार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मोटरसाइकिल को सडक पर खडा कर दिया और उनमें से तीन लोग लकडी के डण्डे लेकर ट्रेक्टर के सामने आए और ट्रेक्टर को रूकवाया तो उसने ट्रेक्टर नहीं रोका तब उन्होने बगल से आकर डण्डा मारा जो उसे दाहिने आंख के ऊपर माथे पर तथा बाई तरफ सिर में लगा, जिससे उसे चोटें आईं तथा ट्रेक्टर ट्रॉली के बीच से दो लोग ट्रेक्टर पर चढ आए और उसे खींचने लगे, तो उसने ट्रेक्टर बंद कर दिया तब उसे तीन लोग खींचते हुए ग्राम सैंथरी तरफ खेत में ले गए, वहां उसके पीछे हाथ तथा पैर बांध दिए और मृंह में कपड़ा भर दिया, तथा उसे खेत में बंधा छोड़कर वे लोग ट्रेक्टर मय ट्रॉली के गाता तिराहे तरफ लेकर चले गए, फिर उसने धीरे धीरे पैर व मुंह का कपडा निकाला और फिर वह पैदल ग्राम सैंथरी पहुंचा, जहां एक आदमी खाट पर सोया हुआ मिला, जिसे उसने जगाया, तब उसने अपने हाथ जो पीछे बंधे थे, खुलवाए फिर गांव के चौकीदार व एक आदमी उसके साथ सडक पर आए तब ग्राम भजपुरा का भोले सिंह तोमर ट्रेक्टर लेकर आया, फिर उसे घटना बातई तब उसने अपने मोबाइल से ट्रेक्टर के मालिक होमसिंह को लूट कर ट्रेक्टर ले जाने की बात बताई थी, फिर रोड पर आगे चलकर देखा तो उसकी रेत से भरी ट्रॉली सडक किनारे खडी मिली ट्रेक्टर नहीं मिला, तथा जब सुबह ट्रेक्टर मालिक होमसिंह आ गया तब ट्रेक्टर की तलाश आस–पास करने पर भी ट्रेक्टर का पता नहीं चलने पर उसने तथा उसके मालिक होमसिंह ने अपनी रेत से भरी ट्रॉली को अपने ग्राम लालपुरा भेज दिया जिसके बाद वे दोनों रिपोर्ट को आए, वह आरोपियों को सामने आने पर पहचान लेगा।
- फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मौ में अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 150 / 2012 पंजीबद्ध प्र0पी0–05 में एफ0आई0आर0 कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा

मौका प्र0पी0-07 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी प्र0पी0-10, 11, 12, 20, 21, 22 एवं टेक्ट्रर की जब्ती प्र0पी0—03, तथा अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0—02 एवं 13 लगायत 15 तथा साक्षियों के कथन उपरांत विवेचना पूर्ण कर मामला सक्षम डकैती न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण हेतु प्रस्तुत किया।

- अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण विजय कुमार, 5. अरूण शर्मा, सत्यपाल एवं प्रदीप उर्फ नाना के विरूद्ध धारा 394 सहपठित 34 भा०द०वि० तथा धारा—11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत तथा टेक्ट्रर अभियुक्त महेश के कब्जे जब्त होने से उसके विरूद्ध विरूद्ध धारा–411 भा०द०वि० के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण चाहा। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूटा फंसाए जाने का आधार लिया है।
- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - क्या दिनांक 03/07/12 को करीब 02:00 ए0एम0 बजे गाता अमायन रोड ग्राम सैंथरी की पुलिया से आगे थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्रांतर्गत अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर लूट की घटना कारित करने के लिए सामान्य आशय निर्मित किया ?
 - क्या, अभियुक्तगण द्वारा उक्त, समय दिनांक व स्थान पर उक्त 2-सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी दीवान सिंह को स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए उससे सोनालिका ट्रेक्टर की लूट कारित की ?
 - क्या अभियुक्त महेश ने दिनांक 14/12/12 या उसके पूर्व सोनालिका 3-ट्रेक्टर क्रमांक यू0पी0–75–पी0–7379 को यह विश्वास रखते हुए कि वह चोरी का है, उसे अपने आधिपत्य में रखा 🔼 🔨

—::-निष्कर्ष के आधार :-विचारणीय प्रश्न कमांक-01 एव 02 का निराकरण

- उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के 7. विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
- इस संबंध में प्रकरण के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी दीवानसिंह 8. अ०सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि वह अमायन तरफ से रेत भरकर मेहगांव से आरहा था, तभी केमोखरी के पास आठ–दस लोग मिले जिन्होंने उसका ट्रेक्टर लूट लिया और उसे बांध कर रोड किनारे डाल गए तथा ट्रेक्टर लेकर भाग गए ट्रेक्टर पर नंबर नहीं था, सोनालिका कंपनी का था, इसके बाद उसने सुबह ट्रेक्टर मालिक रामनिवास तोमर को सूचना दी थी, फिर थाने

ट्रेक्टर मालिक के साथ जाकर घटना की प्र0पी0–05 की रिपोर्ट लिखाई थी, पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का मानचित्र प्र0पी0-07 तैयार किया था और कोई सामान की जब्ती उसके सामने नहीं की गई है, उक्त फरियादी द्वारा प्र0पी0-05 की एफआईआर और प्र0पी0-06 के पुलिस कथन का समर्थन न करने पर उसे अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित करते हुए सूचक प्रश्न पूछे, जिसमें उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ट्रेक्टर मालिक होमसिंह था, जिसे उसने सूचना दी थी और वह आ गया था, ट्रेक्टर का नंबर उसे याद नहीं है, उसने यह भी स्वीकार किया जब वह ट्रेक्टर लेकर आ रहा था, तो पीछे से कनाथर तरफ से चार लोग बैठकर आए थे और ट्रेक्टर के आगे मोटरसाइकिल लगाकर एक तरफ खडी कर दी थी, फिर उसमें से तीन लोग डण्डा लेकर ट्रेक्टर के सामने आ गए थे और उन्होंने ट्रेक्टर रूकवाया था, लेकिन उसने ट्रेक्टर नहीं रोका तो उसे डण्डा मारा था और गालियां दी थी, और दो लोग ट्रेक्टर ट्रॉली पर चढ गए थे तथा उसे खींचने लगे थे. तब उसने ट्रेक्टर बंद कर दिया था।

- 9. रीवन सिंह अ०सा०–०४ ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है, कि उसके हाथ पीछे बांध दिए थे, पैर भी बांध दिए थे और मुंह में कपडा डाल दिया था, तथा उसे छोड कर चले गए थे, प्र0पी0–06 के पुलिस कथन में उसने ट्रेक्टर का 🋂रेजिस्ट्रेशन नंबर बताने से इन्कार करते हुए, यह कहा है, कि पुलिस ने उससे एक सफेद रंग की टेरीकॉट की नील लगी साफी जब्त की थी और उसका प्र0पी0–08 का जब्तीपत्र बनाया था, लेकिन पुलिस ने उससे कोई डण्डा जब्त नहीं किया था, प्र0पी0-09 के जब्तीपत्र पर उसने अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किए है और पैरा–02 के अंत में विचाराधीन अभियुक्तगण विजय, अरूण, सत्यपाल को जानने से इन्कार करते हुए उनके द्वारा ट्रेक्टर छुडाए जाने से इन्कार किया है, प्र0पी0–07 लगायत प्र0पी0–09 पर अपने हस्ताक्षर पुलिस द्वारा थाने पर कराया जाना बताते हुए पैरा-05 में यह भी कहा है, कि वह अभियुक्त महेश, प्रदीप को भी नहीं जानता है और उन्होंने ट्रेक्टर नहीं लूटा
- बचाव पक्ष का उक्त साक्षी के संबंध में यह तर्क है, कि फरियादी ने 10. अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है और एफआईआर0 का समर्थन भी नहीं किया है तथा अभियुक्तगण की पहचान न होने से ही पूरा मामला संदिग्ध है, तथा इसी आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्ति के पात्र है, जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है, कि घटना रात्रि की है, अभियुक्तगण अज्ञात थे, ऐसे में फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को पहचानने से इन्कार करने का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- दीवन सिंह अ०सा०–०४ प्रकरण का फरियादी, आहत होकर महत्वपूर्ण 11. साक्षी है, प्र0पी0–05 की एफआइआर और प्र0पी0–06 के पुलिस कथन में यह तथ्य नहीं आया है, कि जिन लोगों ने उसके साथ ट्रेक्टर लूट की घटना कारित की थी, उनके मुंह बंधे थे या खुले थे, कद, काठी, हुलिया, उम्र आदि का भी उल्लेख नहीं है, किंतू इस बात का अवश्य उल्लेख है, कि वह लूट करने वालों को सामने आने पर पहचान लेगा, जिसका प्र0पी0–06 के पुलिस कथन में लेख है, किंतु अभिलेख पर अभियुक्तगण की पहचान परेड कराई जाने के संबंध में

5

कोई साक्ष्य का संकलन नहीं है, घटना की विवेचना करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी डी.एस. बैश अ०सा०–०८ ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान परेड के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताए है, इससे यह स्पष्ट है, कि अभियुक्तगण की पहचान की कोई कार्यवाही धारा–०९ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अनुसंधान स्तर पर नहीं कराई गई है, ऐसी में दीवानसिंह अ०सा०–०४ का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण को पहचानने से इन्कार करने और घटना कारित करने में शम्मिलित होने से इन्कार करना अभियोजन के लिए, के कथानक के प्रतिकूल होकर अभियोजन के लिए घातक है और वह पक्षविरोधी भी रहा है, इसलिए उसका अभिसाक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है, उसके संपूर्ण अभिसाक्ष्य से इस बारे में भी संदेह उत्पन्न होता है, कि घटना कारित करने वाले चार लोग थे या सात–आठ लोग थे, क्योंकि इसमें भी भिन्नता आई है।

- 12. प्र0पी0-05 की एफआईआर और प्र0पी0-06 के फरियादी दीवानसिंह के पुलिस कथन के अनुसार वह दिनांक 02/07/12 को रात्रि में ट्रेक्टर ट्रॉली से रेता भरने के लिए सांबूरी खदान पर सिंध नदी पर गया था और ट्रेक्टर में रेता भरकर वापिस ट्रेक्टर ट्रॉली से लाल का पुरा जहां का ट्रेक्टर स्वामी होमसिंह तोमर निवासी बताया गया है, वहां जा रहा था, तब अमायन रोड पर ग्राम सैंथरी की पुलिया से पहिले कनाथर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर चार लागे बैठकर उसके ट्रेक्टर से आगे निकले थे और ट्रेक्टर के आगे सडक पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खडी की उनमें से तीन लोग डण्डे लेकर ट्रेक्टर के सामने आए और ट्रेक्टर रूकवाया उसने ट्रेक्टर नहीं रोका तो बगल से डंण्डा लेकर आ गए और उसे मारा जिससे उसके दाहिनी आंख के ऊपर माथे में तथा बाई तरफ सिर में चोट लगी, तथा ट्रेक्टर ट्रॉली के बीच से दो लोग ट्रेक्टर पर चढे और उसे खींचने लग तब उसने ट्रेक्टर बंद किया, फिर तीन लोग उसे खचोर कर ग्राम सैंथरी तरफ खेत में ले गए और वहां उसके हाथ पैर बांधकर तथा मुंह में कपडा भरकर साफी से बांध दिया और खेत में बंधा छोडकर ट्रेक्टर मय ट्रॉली के गाता तिराहे तरफ लेकर चले गए।
- 13. फरियादी दीवानसिंह अ०सा०-०४ से पूछे गए सूचक प्रश्नों में वह उक्त प्रकार की घटना घटित होना तो बताता है, किंतु वह उसे ग्राम सैंथरी के किसी खेत में डालकर जाने की बात का समर्थन नहीं करता है, बिल्क रोड किनारे बांधकर डालजाना बताता है, प्र०पी०-०७ के नक्शामीका में फरियादी दीवानसिंह को 'जी' स्थान पर बंधकर डाला जाना दर्शाया है, जो सरनाम सिंह का ग्राम सैंथरी का खेत है, रोड किनारे नहीं डाला गया, यदि इसे अवलोकन में न भी लिया जाए तब भी उक्त फरियादी विचाराधीन अभियुक्तगण का घटना में शामिल होने से स्पष्ट इन्कार करता है, इसलिए उसके सूचक प्रश्नों में आए तथ्यों के आधार पर और मुख्यपरीक्षण के अभिसाक्ष्य से केवल इतना ही स्थापित और प्रमाणित होता है, कि वह होमसिंह तोमर के सोनालिका ट्रेक्टर, ट्रॉली से सिंध नदी से साबूरी खदान से रेता भरकर वापिस लौट रहा था, तब सैंथरी की पुलिया के पास कुछ लोगों के द्वारा उसे रास्ते में रोका गया और मारपीट कर उससे ट्रेक्टर ट्रॉली लटी गई, किंतु घटना कारित करनेवाले कौन लोग थे, यह उसके

अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं होता है, लूट की घटना कारित करने में वह चोटिल होना भी बताता है, किंतु उसका कोई मेडीकल परीक्षण कराया जाना कथानक में नहीं आया है, जबकि वह दाहिनी आंख के ऊपर माथे पर और बाई तरफ सिर में चोटें बताता है और घटना की रिपोर्ट भी 12 घंटे के भीतर हुई है, ऐसे में मेडीकल परीक्षण कराया जाना चाहिए था, जिसके अभाव में चोटिल होने की पुष्टि नहीं होती है, कहां चोट आई ऐसा अ0सा0—04 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया भी नहीं है, वह केवल ट्रेक्टर लूटने की घटना कारित होना अवश्य बताता है, उतना ही उसके अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होता है, शेष साक्ष्य से यह देखना होगा कि क्या फरियादी दीवानसिंह के आधिपत्य का सोनालिका ट्रेक्टर यू0पी0—75—पी0—7349 को मय रेत भरी हुई ट्रॉली के विचाराधीन अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य के सहयोग से लूटा गया अथवा नहीं।

6

14. 🌈 कथानक मुताबिक फरियादी दीवानसिंह ने किसी तरह से अपने मुंह का कपड़ा निकाला और फिर मुंह से पैर खोले फिर पैदल चलकर ग्राम सैंथरी पहुंचा ्रतथा खाट पर सोए हुए व्यक्ति को जगाया उनसे हाथ खुलवाए फिर घटना सुनाई फिर चौकीदार को बुलवाया तथा एक व्यक्ति ओर आया फिर भोलसिंह तोमर नामक व्यक्ति ट्रेक्टर लेकर जा रहा था, उसे घटना बताई और उसके मोबाइल से अपने ट्रेक्टर मालिक होमसिंह तोमर को घटना की सूचना दी, इस बिन्दू पर जो अनुसंधान पुलिस द्वारा किया गया, उसमें खाट पर सोनेवालों में ग्राम सैंथरी के सरनाम सिंह और धनीराम बताए है, चौकीदार भगवानसिंह बताया है और जिस ट्रेक्टरवाले ने वाहन स्वामी को फोन किया वह भोलासिंह तोमर बताया गया है, जिनमें से चौकीदार भगवानसिंह और भोलासिंह को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है, न ही उनके अपरीक्षित रहने का कोई कारण है, बल्कि उन्हें विचारण कार्यक्रम में भी अभियोजन द्वारा शामिल नहीं किया गया है, धनीराम अ0सा0–01 और सरनाम सिंह अ0सा0–02 के रूप में परीक्षित कराए गए है, जिनमें से धनीराम अ०सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि वह अपने घर के बाहर मढैया पर लैटा हुआ था, रात के करीब 11:00 बजे एक व्यक्ति आया था और बोला था, कि वह ट्रेक्टर का ड्राईवर है और उसके हाथ, पैर साफी से बंधे थे, तो उसने हाथ पैर से साफी हटाई थी, उसके बाद वह व्यक्ति बेहोश हो गया था, उसके मुंह से खून निकला था, हालत देखकर वह घबरा गया था और उसने गांव तरफ चले जाने को कहा था, फिर वह व्यक्ति गांव तरफ चला गया था, घायल ने बताया था, कि उसका ट्रेक्टर छुडा लिया गया है और उसने स्वयं को गोरमी का रहनेवाला बताया था, उसके हाथ पैर किसने बांधे थे, ट्रेक्टर किसने छुडाया था, उनके नाम नहीं बताए थे, पुलिस को उसने बयान देना और उसमें हाथ पैर बंधे हुए व्यक्ति का बेहोश होना और मुंह से खुन निकलने वाली बात लिखाना कहा है, जबकि अभियोजन के पूरे कथानक में उक्त साक्षी धनीराम के प्र0डी0–01 के पुलिस कथन में मुंह से खून निकलने या बेहोश होने वाली बात का उल्लेख नहीं किया है, फरियादी दीवान सिंह अ0सा0–04 ने अपने अभिसाक्ष्य में मुंह से खून निकलने वाली बात नहीं बताई है, न ही एफआईआर में ऐसा कोई उल्लेख है, कि फरियादी के मुंह में भी चोट लगी हो।

- 15. अभियोजन के कथानक मुताबिक घटना रात 02:00 बजे की है, जबिक धनीराम अ0सा0–01 के मुताबिक फरियादी उसके पास रात 11:00 बजे आया, तब उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, जबकि दीवानसिंह के मुताबिक लूट करने वाले उसके हाथ पैर साफी से बांधकर मूंह में कपडा भरकर छोड गए थे और उसने अपने पैर मुंह से खोले थे, फिर वह सैंथरी चलकर गया था, इससे धनीराम अ0सा0-01 की प्रतिकृत साक्ष्य है, तथा समय में भी अधिक समय का अंतर है, ऐसे में अ०सा0–01 भी किसी प्रकार से किसी भी बिन्द पर विश्वसनीय साक्षी नहीं है, क्योंकि यदि फरियादी उसके पास पहुंच कर बेहोश हो गया था, तो फिर वह कैसे गांव तरफ जाता और धनीराम द्वारा उसे गांव तरफ जाने के लिए कैसे कहा गया, इससे धनीराम का अभिसाक्ष्य कतई स्वभाविक नहीं है और दीवानसिंह अ०सा0–04 और धनीराम अ०सा0–01 के अभिसाक्ष्य की विसंगति को देखते हुए, फरियादी दीवानसिंह का धनीराम से रात में संपर्क होने पर भी संदेह उत्पन्न होता है ऐसे में भी धनीराम अ०सा०–०1 विश्वसनीय साक्षी नहीं है, और उसका अभिसाक्ष्य अभियोजन के कथानक को देखते हुए ग्राहय योग्य नहीं रह जाता है।
- 16. सरनाम सिंह अ०सा०-०२ जो कि ग्राम सैंथरी का निवासी है, उसने 🌄 अपने अभिसाक्ष्य में रात 11—12 बजे जब वह घर के बाहर सो रहा था, तब उसके पास एक व्यक्ति का आना और चारपाई पर हाथ रखने पर जाग जाना तथा चिल्लाने पर आसपास के लोगों का आ जाने पर उसने देखा था, कि जो व्यक्ति आया था, उसके सिर से खून बह रहा था, फिर उसने गांव के कोटवार को बुलाया था और उसे थाने भिजवाया था, उस व्यक्ति ने बताया था, कि ट्रेक्टर चोर ले गए है और कोई जानकारी उसे नहीं है, अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए सूचक प्रश्नों में उसने इस बात से इन्कार किया है, कि जो व्यक्ति घायल अवस्था में आया था, उसका नाम दीवानसिंह था, इस बात से भी इन्कार किया है, कि दीवानसिंह ने उसे तीन चार लोगों के द्वारा ट्रेक्टर लूटने की बात बताई थी, साक्षी ने प्र0पी0-01 का पुलिस को कथन देने से इन्कार भी किया है, इस तरह से उक्त साक्षी आहत दीवानसिंह के मुंह की बजाए सिर से खून निकलना कह रहा है, ट्रेक्टर की लूट से इन्कार कर रहा है, बल्कि चोरी बताता है, प्र0पी0-01 के पुलिस कथन से भी उसकी भिन्नता है, इसलिए उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से भी विचाराधीन अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य स्थापित और प्रमाणित नहीं होते है।
- 17. जिस ट्रेक्टर की लूट बताई गई है, उसके बताए गए स्वामी होमसिंह तोमर को अ०सा0-09 के रूप अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि उसका सोनालिका कंपनी का नीले रंग का ट्रेक्टर कमांक यू०पी0-75-पी0-7349 को दीवानसिंह चलाता था, जो रेत भरने के लिए रूहेरा घाट गया था, और वापिस पोरसा के लिए लौट रहा था, तब सैंथरी की पुलिया पर अज्ञात बदमाशों ने ट्रेक्टर चालक से छुड़ा लिया था, उसे थाने से सूचना आई थी, तब वह घटनास्थल पर गया था, वहीं पुलिस मिली थी जो छानबीन कर रही थी, मौके पर ही चालक दीवानसिंह बंधा हुआ मिला था, उसके ट्रेक्टर पर आगे बंफर पर डब्बू मेल तोमर और बोनड पर दंदरीआ सरकार लिखा

था, उसने पुलिस को थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, ट्रेक्टर पुलिस ने लुटेंगें से जब्त किया था, उसने ट्रैक्टर की पहचान की थी, ट्रेक्टर के अलावा उसने बेटरी, छतरी तथा दो टायर भी उसने पहचाने थे, पहचान की कार्यवाही दंदरीआ के आसपास के सरपंच ने कराई थी, जिसका प्र0पी0–04 का शिनाख्ती मेमो बनाया था और उसने हस्ताक्षर किए थे, उसने पुलिस को प्र0पी0–23 का ए से ए भाग का कथन 'मैं किसानी करता हूं......देख कर पहचान लूंगा' बताने से इन्कार किया है, प्र0पी0–23 के पुलिस कथन में उक्त ट्रेक्टर की पहचान वाली बात और चालक दीवनसिंह से अज्ञात बदमाशों के द्वारा ट्रेक्टर लूट कर ले जाने की बात का लेख है।

- 18. ्शिनाख्ती के बिन्दु पर होमसिंह अ०सा०–०९ के द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया गया है, कि शिनाख्ती की कार्यवाही के समय मटियापुरा तहसील पोरसा के सरपंच थे, जिन्होंने ट्रेक्टर की पहचान कराई थी, उसने बेटरी छतरी और दो टायर भी पहचाने थे, पुलिस ने शिनाख्ती के लिए बुलाया था, बेटरी ट्रेक्टर में ेलगी थी, ट्रेक्टर खरीदने के बाद उसने नया सामान नहीं डलवाया था, उसके ट्रेक्टर में एक्साइड कंपनी की बेटरी लगी थी, ए०एम०सी०ओ० की नहीं थी, उक्त साक्षी पुलिस को लिखित आवेदन आवेदन देना कहता है, जबकि अभिलेख पर 🎱 कोई लिखित आवेदन न तो पेश है, न ही घटना की विवेचना करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी डी०एस० बैश अ०सा०–०८ ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है, बल्कि प्र0पी0-05 की एफआईआर0 मौखिक रूप से चालक दीवानसिंह द्वारा लिखवाई जाने का उल्लेख है, इससे रिपोर्ट के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है, और अ0सा0–09 के मुताबिक चालक दीवानसिंह मौके पर ही बंधा हुआ मिला था, जिससे दीवानसिंह अ0सा0–04 का यह अभिसाक्ष्य कि उसने मृह से कपडा निकालकर पैरा खोले और गांव सैंथरी गया जहां सो रहे लोगों को जगाकर उसने हाथ खुलवाए वह संदिग्ध हो जाता है।
- शिनाख्ती के बिन्दु को देखा जाए तो प्र0पी0-04 के ट्रेक्टर शिनाख्ती का 19. ज्ञापन ग्राम पंचायत दंदरौआ के सरपंच कमलेश कौरव अ०सा०–०६ के द्वारा शिनाख्ती कराते हुए, तैयार करना बताया है, जिसमे पहचानकर्ता ने ट्रेक्टर की एक बेटरी, छत्तरी और अगले टायरों की पहचान भी की थी, लेकिन वह यह भी कहता है, कि प्र0पी0-04 की कार्यवाही करने के लिए पुलिस उसके घर पर आई थी और प्र0पी0–04 की लिखापढी उसके घर पर हुई थी, पुलिस ने लिखापढी करके उसके हस्ताक्षर कराए थे, ट्रेक्टर कहां से आया था, यह उसे पता नहीं है, पहचानकर्ता के वह नहीं जानता है और उसने पहचानकर्ता के ट्रेक्टर के स्वामित्व के कोई कार्गजात नहीं देखे थे, शिनाख्ती के पंचसाक्षी जयसिंह अ०सा०-03 और धर्मसिंह अ०सा०-10 भी है, जयसिंह अ०सा०-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में पहचान की कार्यवाही से इन्कार करते हुए, केवल प्र0पी0-04 पर अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है और पुलिस द्वारा करवाया जाना कहा है, तथा धर्म सिंह अ0सा0—10 ने यह बताया है, कि होमसिंह ने ट्रेक्टर की पहचान की थी, ट्रैक्टर के अलावा बेटरी, छतरी और दो टायर भी पहचाने थे और वह होमसिंह के साथ ही पहचान की कार्यवाही के लिए पोरसा से थाने आया था, होमसिंह के ट्रेक्टर में पहचानी गई बेटरी के अलावा अन्य बेटरी नहीं थी, इस

प्रकार से ट्रेक्टर उसके टायर और बेटरी की पहचान की कार्यवाही से संबंधित सरपंच कमलेश कौरव अ0सा0—06 जयसिंह अ0सा0—03, धर्मसिंह अ0सा0—10 और पहचानकर्ता होमसिंह अ0सा0—09 की आपस में ही विरोधाभाषी अभिसाक्ष्य आई है, प्र0पी0—04 के मुताबिक शिनाख्ती की कार्यवाही सर्कित हाउस मौ पर दिनांक 24—12—12 को कमलेश कौरव सरपंच द्वारा कराई जाना उल्लेखित है, जिसका कोई भी साक्षी समर्थन नहीं करता है, पहचानकर्ता के मुताबिक उसके ट्रेक्टर में उसने कोई नया सामान नहीं उलवाया था और एक्साइड कंपनी की बेटरी लगी थी, जबकि जो बेटरी की पहचान हुई है, वह ए०एम०सी०ओ० कंपनी की होना प्र0पी0—17 मुताबिक बातई गई है, इससे जब्त बेटरी और पहचान की गई बेटरी अलग अलग होने से शिनाख्ती की कार्यवाही दूषित हो जाती है और वह विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है, जब्ती की स्थिति को अभी आगे विश्लेषण में मूल्यांकित करना होगा।

- 20. प्रकरण में अभियुक्तगण को अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने और पूछताछ किए जाने पर उनके द्वारा धारा—27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत दिए गए ज्ञापनों में प्रकाशित हुए तथ्यों के आधार पर वस्तुओं की हुई बरामदगी के आधार पर अभियोजित किया गया है, क्योंकि अन्य कोई साक्षी ऐसा नहीं मिला जिसने लूट कारित करनेवालों में अभियुक्तगण को देखा और पहचाना हो, इसलिए गिरफ्तारी मेमो और जब्ती की कार्यवाही के आधार पर ही यह मूल्यांकित करना होगा कि क्या अभियुक्तगण प्र0पी0—05 मुताबिक बताई गई लूट की घटना से किसी कडी के रूप में जुडते है अथवा नहीं।
- इस संबंध में अभिलेख पर जो अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश की गई 21. है, उसमें फरियादी से लूटा गया ट्रेक्टर अभियुक्त महेश से प्र0पी0–03 के जब्तीपत्रक मुताबिक बरामद होना बताया गया है और ट्रेक्टर महेश सिंह भदौरिया के पास होना के तथ्य का प्रकटीकरण अन्य अभियुक्त विजय के प्र0पी0-02 के धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत दिए गए ज्ञापन से दिनांक 14–12–12 को प्रकट होना बताया गया है, जबिक उसके पूर्व दिनाक 11-11-12 को अनुसंधान के दौरान सहअभियुक्त सत्यपाल सिंह भदौरिया का धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत लिए गए ज्ञापन में ट्रेक्टर महेश भदौरिया ईंगूरी वाले के यहां पह्चा दिया जाना दिया जा चुका था, जैसा कि विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी डी०एस० बैश अ०सा०–०८ के अभिसाक्ष्य में आया है, कि अभियुक्त सत्यपाल का उसने दिनांक 11–11–12 का प्र0पी0–15 का ज्ञापन लिया था, जिससे यह प्रकट है, कि ट्रेक्टर कमांक यू०पी०–75–पी०–7349 अभियुक्त महेश सिंह भदौरिया के पास होना का तथ्य प्र0पी0-15 के माध्यम से सर्वप्रथम प्रकट हुआ ऐसे में अभियुक्त विजय के प्र0पी0—02 के ज्ञापन के माध्यम से उक्त तथ्य का प्रकटीकरण प्रथम बार होना नहीं माना जा सकता है। इस बारे में विवेचक अ०सा०–०८ का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
- 22. साक्षी धर्मसिंह अ०सा०–10 ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी दीवानसिंह से पुलिस द्वारा दो साफियों के दो दो टुकडे प्र०पी०–08 के जब्तीपत्र बनाकर तथा एक लकडी का डण्डा प्र०पी०–09 का जब्तीपत्र बनाकर जब्त करना भी बताया है,

जिसका फरियादी दीवानसिंह अ०सा०-०४ अपने अभिसाक्ष्य में आंशिक समर्थन ही करता है, डण्डे की जब्ती से वह इन्कार करता है और दो साफी जिसमें एक सफेद दूसरी नील लगी हुई जब्त करना बताता है, प्र0पी0–08 व 09 के दस्तावेजों को देखा जाए तो प्र0पी०-08 के अनुसार दिनांक 03/07/12 के अर्थात रिपोर्ट वाले दिन फरियादी दिवानसिंह ने एफआईआर पंजीबद्ध करने के पश्चात एफआईआर लेखक ए०एस०आई० ए०एम० सिद्धीकी के द्वारा प्र0पी0-08 एवं 09 की कार्यवाही करते हुए फरियादी दीवानसिंह द्वारा पेश किए जाने पर एक टेरीकॉट की सफेद साफी के दो खड़े टुकड़े तथा एक टेरीकॉट की सफेट नील लगी साफी के दो टुकडे प्र0पी0-08 द्वारा जब्त करना बताए है, और प्र0पी0-09 द्वारा दक्षिण बबुल का दो हाथ लंबे डण्डे की जब्ती से वह इन्कार करता है यदि उसे धर्मसिंह अ०सा०–10 के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए जब्त होना प्रमाणित भी माना जाए तो उससे किसी अतिरिक्त तथ्य की पुष्टि नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही माना जा सकता है, कि प्र0पी0–08 मृताबिक साफी के जो टुकडे जब्त हुए उससे ही लूट की घटना करनेवालों के द्वारा लूट के समय फरियादी दीवानसिंह के हाथ पैर बांधे गए होंगे, हालांकि प्र0पी0–08 एवं 09 की कार्यवाही का दूसरे पंचसाक्षी नेतराम शिवहरे अ०सा०–०७ ने भी कोई समर्थन नहीं किया है, प्र0पी0–09 मृताबिक डण्डा किस उद्देश्य से बरामद किया गया, इसके बारे में अभिलेख पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए प्र0पी0–08 एवं 09 को विचाराधीन अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी साक्ष्य का संकलन होना और कडी के रूप में जुडना प्रमाणित नहीं होता है।

- 23. प्र0पी0—10 लगायत प्र0पी0—18 की कार्यवाही अरूण शर्मा, प्रदीप उर्फ नाना, सत्यपाल सिंह के गिरफ्तारी मेमो और जब्ती के दस्तावेज है, जिनके पंचासाक्षी शीतलसिंह अ0सा0—05 और नेतराम अ0सा0—07 है, दोनों ही पक्षिविरोधी रहे है, और उन्होंने अभियोजन की कार्यवाही का व उक्त दस्तावेजों की कार्यवाही का समर्थन अपने अभिसाक्ष्य में नहीं किया है, तथा अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षिविरोधी घोषित कर पूछे गए सूचक प्रश्नों में भी उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई भी सकारात्मक साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दी गई है, तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पुलिस द्वारा एक ही दिन एक जगह करा लिया जाना और पढ़कर न सुनाया जाना बताया है, इसलिए उक्त पंचसाक्षियों से प्र0पी0—10 लगायत प्र0पी0—18 की कार्यवाही का समर्थन नहीं होता है, इसलिए प्र0पी0—10 लगायत प्र0पी0—18 के दस्तावेज विवेचक डी०एस० बैश अ0सा0—08 के अभिसाक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए देखना होगा, कि क्या विवेचक के अभिसाक्ष्य से वे विधिक रूप से प्रमाणित होते है या नहीं ?
- 24. विवेचक डी०एस० बैश अ०सा०—०८ ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 18/09/12 को वह थाना प्रभारी मौ के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को अपराध कमांक 150/12 की केशडायरी विवेचना हेतु उसे प्राप्त हुई थी, उसने उक्त दिनांक को ट्रेक्टर स्वामी होमसिंह तोमर का कथन लिया था, विवेचना के दौरान दिनांक 10/11/12 को उसे जिरए मुखबिर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी, कि उक्त अपराध में लूटा गया ट्रेक्टर ग्राम रिदौली में अजय बोहरे के घर पर रखा है, तब उसने दिबश देकर अजय बोहरे के खेत से एक

ट्रेक्टर पॉवर ट्रेक को जब्त कर प्र0पी0–19 का जब्तीपत्र बनाया था, प्र0पी0–19 के जब्तीपत्र का भी शीतलसिंह अ०सा०-०५ और नेतराम अ०सा०-०७ ने कोई समर्थन नहीं किया है, कथानक में लूटा गया ट्रेक्टर सोनालिका नीले रंग का था, जबिक प्र0पी0–19 मुताबिक जो ट्रेक्टर जब्त बताया गया है, वह पावर ट्रेक 435 लाल रंग का उल्लेखित है, और नंबर प्लेट व इंजन चेसिस नंबर का न होना लेख किया है, इसलिए इस बारे में संदेह उत्पन्न हो जाता है, कि प्र0पी0-19 मुताबिक बरामद ट्रेक्टर और लूटा गया ट्रेक्टर एक ही था अथवा नहीं, क्योंकि इस बारे में स्थिति विवेचक ने स्पष्ट नहीं की है, न ही प्रकरण में अजय बोहरे का साक्ष्य लिया ग्रेया है, कि उसके खेत पर बरामद ट्रेक्टर कैसे आया। यह गंभीर संदेह उत्पन्न करता है, तथा बचाव पक्ष के इस तर्क को बल प्रदान करता है, कि वास्तव में कोई घटना नहीं घटी बल्कि अभियुक्तगण को निर्दोष होने के बावजूद झूठा फंसा दिया गया है यदि लूटा गया ट्रेक्टर और बरामद ट्रेक्टर एक ही था, तो फिर प्र0पी0-13 लगायत प्र0पी0-13 के ज्ञापन एवं प्र0पी0-02 के ज्ञापन की आवश्यकता नहीं थी, और प्र0पी0-03 मुताबिक जो ट्रेक्टर अभियुक्त महेशसिंह से जब्त बताया गया है, वह नीले रंग का सोनालिका ट्रेक्टर बतया है, जिसके गियर बॉक्स पर इंजन चेसिस नंबर के०जेड०आर०डी०ई०-222373 / 3 लिखा था, इससे भी प्र0पी0—03 और प्र0पी0—19 के ट्रेक्टर अलग अलग होना स्पष्ट होता है, प्र0पी0–19 के ट्रेक्टर की अनुसंधान में क्या अवश्यकता थी, यह भी विवेचक अ०सा०–०८ ने स्पष्ट नहीं किया है।

- 25. प्र0पी0—10 लगायत प्र0पी0—12 के गिरफ्तारी पत्रकों द्वारा अभियुक्त अरूण कुमार शर्मा, प्रदीप उर्फ नाना तथा सत्यपाल सिंह भदौरिया को दिनांक 11/11/12 को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया जाना बताया गया है, दिन के करीब 11:00 बजे रेस्टहाउस तिराहे मौ से अभियुक्त प्रदीप उर्फ नाना को गिरफ्तार करना, शाम 07:35 बजे ग्राम प्रतापपुरा से अभियुक्त अरूण कुमार शर्मा को गिरफ्तार करना और रात 08:40 बजे ग्राम बंगूलरी से अभियुक्त सत्यपाल सिंह भदौरिया के गिरफ्तार करना बताया है, किंतु उनकी गिरफ्तारी के लिए विवेचक डी०एस० वैश अ०सा0—08 कब गया कब लूटा इससे संबंधित कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का पेश नहीं किया गया है, हालांकि रोजनामचा में प्रविध्टि करना उसने स्वीकार किया है, पेश न करना भी उसने स्वीकार किया है, ऐसे में गिरफ्तारी की वास्तविकता भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसका भी कोई समर्थन नहीं है।
- 26. अ०सा०-०८ के द्वारा दिनांक 11/11/12 को ही अभियुक्त प्रदीप उर्फ नाना की गिरफ्तारी वाला स्थान रेस्टहाउस के पास के मौ से गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत पूछताछ कर ज्ञापन लेना और उसमें ट्रेक्टर की दोनों नंबर प्लेट जिस पर रजिस्टेशन क्रमांक यू०पी0-75-पी0-7349 लिखा था उन्हें खोलकर उसके द्वारा अपने घर में रख लेना, बाकी उसके साथियों द्वारा प्रतापपुरा ट्रेक्टर ले जाने की जानकारी देना कहा है, उक्त ज्ञापन अपने आप में ही संदिग्ध है, क्योंकि ट्रेक्टर की नंबर प्लेट ट्रेक्टर से अलग कर दिए जाने पर मूल्यवान नहीं रह जाती है, और उनकी कोई उपयोगिता भी नहीं रहती है, सिवाय इस बात के कि वह साक्ष्य में अवश्य कडी

के रूप में जुड सकती है, ऐसे में कोई भी भी सामान्य बुद्धि विवेक का व्यक्ति अपने विरूद्ध साक्ष्य में उपयोग हो सकने बाली मूल्यहीन वस्तु को नहीं रखेगा, नंबर प्लेट ऐसी भी नहीं है, जिससे लुटेरे के आपसी बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी को संतुष्ट करती हो, ऐसी स्थित में प्र0पी0—13 का ज्ञापन अ0सा0—08 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और उसके आधार पर प्र0पी0—18 के जब्तीपत्र द्वारा नंबर प्लेंटों की जब्ती भी संदिग्ध पूर्णतः होती है, जो यह अभास दिलाती है, कि प्र0पी0—13 और प्र0पी0—18 की कार्यवाही विवेचना की खानापूर्ती के लिए संभवतः की गई हैं, जैसा कि बचाव पक्ष का तर्क है, इसलिए जब्ती भी साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं मानी जा सकती है।

- 27. प्र0पी0—14 मुताबिक अभियुक्त अरूण कुमार शर्मा से गिरफ्तारी पश्चात की गई पूछताछ में उसके द्वारा ट्रेक्टर की बेटरी अपने मकान में पीछे छिपाकर रखना और बरामद कराने की सूचना देना बताई है, उसके आधार पर अभियुक्त अरूण कुमार शर्मा से प्र0पी0—17 के जब्तीपत्रक मुताबिक एक बेटरी जिस पर ए 0एम0सी0ओ0 लिखा था, उसे सोनालिका ट्रेक्टर की बेटरी मानते हुए जब्त करना बताया गया है, यदि थोडी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि बेटरी मूल्यवान होती है और उसके पुनः बिक्य पर कुछ कीमत मिल सकती है, इसलिए अरूण कुमार शर्मा द्वारा उसे अपने हिस्से में लिया गया होगा, तो लूटे बताए गए ट्रेक्टर के के स्वामी होमिसंह तोमर द्वारा अपने ट्रेक्टर की बेटरी एक्साइड कंपनी की बताई गई है, ए०एम0सी0ओ0 कंपनी की बेटरी ट्रेक्टर में होने से वह इन्कार करता है, बेटरी की शिनाख्ती भी दूषित पाई गई है, ऐसे में विवेचक अ0सा0—08 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0—14 के ज्ञापन एवं प्र0पी0—17 की जब्ती की कार्यवाही वास्तिविकता में की जाना और प्रमाणित होना नहीं मानी जा सकती है।
- 28. प्र0पी0-15 के ज्ञापन मुताबिक अभियुक्त सत्यपाल सिंह से इस आशय की जानकारी प्राप्त होना बताई गई है, कि प्रदीप उर्फ नाना ने नंबर प्लेट खोलकर अपने घर पर रख ली थी, अरूण ने बेटरी खोल ली थी और उसने अपने खेत पर ट्रेक्टर की छतरी रख ली थी? तथा अजय व गोपाल के द्वारा ट्रेक्टर महेश भदौरिया ईंगुरी वाले के यहां पहुंचा दिया था, तो यहां यह उल्लेखनीय है कि अजय व गोपाल उन्मोचित पूर्व में हो चुके है, उक्त अभियुक्त सत्यपाल से ट्रेक्टर की छतरी की जानकारी मिलना बताया गया है, और प्र0पी0—15 के ज्ञापन की जानकारी के आधार पर प्र0पी0—16 के जब्तीपत्रक मुताबिक सत्यपाल से ट्रेक्टर की एक छतरी जब्त की गई थी, साथ ही एक मोटरसाइकिल टी०व्ही०एस० स्पोर्टस काली हरी पट्टी वाली जिसका रजिस्टेशन नंबर एम0पी0-30 एम0एफ0-2485 था उसे जब्त करना बताया है, जबकि लूट के समय उपयोग में ली गई मोटरसाइकिल लालरंग की बॉक्सर होना फरियादी दीवानसिंह अ०सा0-04 के पुलिस कथन में प्र0पी0-06 मुताबिक बताया गया था, यह भी गंभीर विसंगति पूर्ण तथ्य है, और यह प्रकट करता है, कि फरियादी के मुताबिक लूट की घटना में उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल लाल रंग की बॉक्सर थी, जबकि सत्यपाल से बरामद मोटरसाइकिल टी०व्ही०एस० स्पोर्टस काली हरी पट्टी वाली है, जिससे भी कोई कडी नहीं जुड़ती है, ऐसे में प्र0पी0—15 और 16 के ज्ञापन भी अ0सा0—08 के अभिसाक्ष्य से कर्ताई प्रमाणित

नहीं होते है और उससे प्र0पी0—05 में बताई गई ट्रेक्टर लूट की घटना कारित करने में अभियुक्त विजय कुमार, अरूण शर्मा, सत्यपाल और प्रदीप उर्फ नाना की संलिप्तता किसी भी प्रकार से दृष्टिगोचर नहीं होती है, जिससे उनके विरुद्ध विवेचक डी०एस0 बैश अ0सा0—08 की अभिसाक्ष्य किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सुदृढ होकर विश्वसनीय नहीं है तथा विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का भी पेश नहीं किया है, जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को भी बल मिलता है, कि संपूर्ण लिखापढी की कार्यवाही थाना प्रभारी ने थाने पर ही बैठकर कर ली वास्तविकता में कोई जांच नहीं की है।

- 29. अ0सा0-08 ने अपने अभिसाक्ष्य में अजय शर्मा की गिरफ्तारी प्र0पी0-20 मुताबिक बताई है, जो उन्मोचित हो चुका है, अभियुक्त विजय शर्मा कि गिरफ्तारी प्र0पी0-21 मुताबिक बताई गई है और अभियुक्त विजय से कोई वस्तु की बरामदगी भी नहीं हुई है, न उसका कोई ज्ञापन लिया गया है, इसलिए यदि अभियुक्त विजय शर्मा की गिरफ्तारी स्वीकार भी कर ली जाए तो उससे भी उसका लूट की घटना कारित करने में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होगी।
- 30. इस प्रकार से अभिलेख पर जो अभियोजन की साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उससे यह कतई प्रमाणित नहीं होता है, कि अभियुक्त विजय कुमार शर्मा, अरूण शर्मा, सत्यपाल सिंह भदौरिया और प्रदीप उर्फ नाना यादव द्वारा दिनांक 03/07/12 को 02:00ए0एम0 बजे गाता अमायन रोड पर ग्राम सैंथरी की पुलिया के आगे डकैती प्रभावित क्षेत्र में एक राय होकर लूट की घटना को अंजाम देने के सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए ट्रेक्टर क्रमांक यू०पी0—75—पी0—7349 मय ट्रॉली के ले जाते समय रोककर स्वेच्छा उसे उपहितयां कारित करते हुए लूट की घटना कारित की फलतः अभियोजन का मामला उक्त अभियुक्तगण के संबंध में संदिग्ध होने से उन्हें संदेह का लाभ देते हुए धारा—394 सहपित धारा—34 भा0द0वि0 एवं 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 03 का विश्लेषण एवं निराकरण

31. इस संबंध में अभियुक्त महेश सिंह भदौरिया क प्र0पी0—22 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर दिनांक 07/02/13 को दंदरीआ से गिरफ्तार किया जाना और उससे पूर्व प्र0पी0—03 के जब्दीपत्रक मुताबिक दिनांक 14/12/12 को पिथनपुरा चौराहे से मंसूरी रोउ पर चौराहे से करीब एक किलोमीटर आगे मेन रोड पर महेश सिंह को सोनोलिका नीले रंग के ट्रेक्टर जिसका इंजन चेसिस नंबर के0जेड0आर0डी0ई0—222373/3 ले जाते हुए ट्रेक्टर छोडकर भाग जाने पर जब्दा करना बताया है, और उक्त जब्दी के लिए सहअभियुक्त विजय का प्र0पी0—02 का ज्ञापन दिनांक 14/12/12 को बताया गया है, जबिक अभियुक्त महेश सिंह भदौरिया पर ट्रेक्टर होने की जानकारी विवेचक डी०एस० बैश अ0सा0—08 को उससे पूर्व दिनांक 11/11/12 को ही अभियुक्त सत्यपाल के प्र0पी0—15 के ज्ञापन से हो चुकी थी, ऐसे में प्र0पी0—02 की कार्यवाही जिसका

समर्थन पंचासक्षी जयसिंह अ०सा०–०३ द्वारा नहीं की गई है, न ही प्र०पी०–०३ की जब्ती का कोई समर्थन किया है, उक्त मेमो और जब्ती की कार्यवाही को डी०एस०बैश अ०सा०–०८ की कार्यवाही से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, जिससे यह तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है, कि दीवानसिंह का लूटा गया सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक यू०पी०–75–पी०–7349 को अभियुक्त महेश भदौरिया को अन्य अभियुक्तगण ने पहुंचाया था, जो उससे बरामद हुआ इसलिए यह भी संदिग्ध है, कि अभियुक्त महेश सिंह भदौरिया ने दिनांक 14/12/12 को या उससे पूर्व उक्त ट्रेक्टर यह विश्वास रखते हुए कि वह चोरी का है, अपने आधिपत्य में रखा संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है, फलतः अभियुक्त महेश सिंह भदौरिया को धारा–411 भा०द०वि० के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

- 32. 🎤 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।
- 33. प्रकरण में जब्तशुदा लकडी का डण्डा टेरीकॉट की साफी के टुकडे मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात विधिवत नष्ट किए जाए, जब्तशुदा ए ०एम०सी०ओ० कंपनी की बेटरी फरियादी या ट्रेक्टर स्वामी या अभियुक्तगण द्वारा क्लेम नहीं की गई है, इसलिए उसे राजसात किया जाता है, बिक्रय कर राशि उपकोषालय गोहद में अपील अविध पश्चात विधिवत जमा की जावे तथा पावर ट्रेक 435 ट्रेक्टर कमांक एम०पी०–30–एम–2309 चेसिस नंबर 3464786 इंजन नंबर 16913 पूर्व से आशाराम शर्मा पुत्र कंचनलाल निवासी बोहरे का पुरा रिदौली थाना पावई जिला भिण्ड एवं सोनालिका ट्रेक्टर जिसका इंजन चेसिस नंबर के०जेड०आर०डी०ई०–222373/3 एवं रिजस्टेशन नंबर यू०पी०–75–पी–7349 एवं उसकी छतरी पूर्व से राधागोविंद पुत्र चन्द्रप्रकाश चौधरी निवासी इकदिल जिला इटावा उत्तर प्रदेश के पास तथा टी०व्ही०एस० स्पोर्टस मोटरसाइकिल क्रमांक एम०पी०–30–एम०एफ०–2485 अभियुक्त सत्यपाल पुत्र अमोल सिंह भदौरिया निवासी बगूलरी थाना पावई जिला भिण्ड के पास सपुर्दगी पर है अतः उनके पक्ष में निष्पादित सुपुर्दगीनामे भारमुक्त किए जाते हैं।
- 34. अभियुक्तगण के द्वारा न्यायिक निरोध के काटी गई अवधि बाबत धारा—428 दं0प्र0स0 के प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किए जाए।
- 35. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये। दिनांक 08 फरबरी 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड